

# Order Sheet [Contd]

Case No 169/2017 बी.ए

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of presiding	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	<p>04.05.17</p> <p>आवेदक/आरोपी भूपेन्द्र की ओर से श्री एम.एस.यादव अधि. द्वारा एक आवेदनपत्र प्रकरण शीघ्र सुनवाई में लेने बावत् पेश कर निवेदन किया कि आवेदक आज जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 पेश करना है। प्रकरण शीघ्र सुनवाई में लिया जावे।</p> <p>उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। विचारोपरांत प्रकरण आज सुनवाई में लिया गया।</p> <p>राज्य की ओर से श्री दीवानसिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक।</p> <p>आवेदक/आरोपी की ओर से अधि. श्री एम.एस. यादव द्वारा प्रथम नियमित जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा0फौ0 का होना दर्शाते हुए और इस आशय का पूर्व में कोई आवेदनपत्र इस न्यायालय अथवा वरिष्ठ न्यायालय द्वारा निराकृत न होना व्यक्त किया गया है।</p> <p>आवेदन में निवेदन किया कि आवेदक के विरुद्ध झूठा अपराध पंजीबद्ध उसे गिरफ्तार कर लिया है। जबकि उक्त अपराध से उसका कोई संबंध सरोकार नहीं है। आवेदक के द्वारा उक्त अपराध कारित करने में किसी प्रकार कोई सहयोग नहीं किया है और न ही उसके द्वारा कोई कृत्य किया गया है। आवेदक नव युवक है जो कि लम्बे समय से अभिरक्षा में है। आवेदक जमानत की समस्त शर्तों का पालन करेगा। अतः आवेदक की ओर से प्रस्तुत नियमित जमानत आवेदनपत्र स्वीकार कर उचित प्रतिभूति पर छोड़े जाने का निवेदन किया है।</p> <p>राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदनपत्र का विरोध करते हुए आवेदनपत्र निरस्त करने का निवेदन किया है।</p> <p>उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। अभिलेख का अवलोकन किया गया।</p> <p>आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने इन तर्कों पर अत्यधिक वल दिया है कि आवेदक के विरुद्ध लैंगिक आरोप नहीं लगाए गए हैं और केवल भा.द.वि की धारा 363 के आरोप हैं जो कि जमानती प्रकृति के हैं और इसी आधार पर आवेदक को जमानत पर मुक्त किये जाने का निवेदन किया है।</p> <p>प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से दर्शित होता है कि धारा 161 के अंतर्गत अभिलिखित कथनों में सहआरोपी नीरज</p>	

के साथ उपस्थित होने एवं बात करने संबंधी कथन किए हैं तथा अभियोक्त्री को सहआरोपी नीरज एवं भूपेन्द्र द्वारा घर से गोहद चौराहा तक ले जाने संबंधी तथ्य आया है। तत्पश्चात् आवेदक/अभियुक्त के बापस चले जाने संबंधी तथ्य लेख कराए हैं। जबकि धारा 164 दं.प्र.सं. के कथनों में अभियोक्त्री के द्वारा अभियुक्त/आवेदक के विरुद्ध भिण्ड में आरोपी के उपस्थित रहने संबंधी आरोप लगाए हैं।

फरियादिया द्वारा आवेदक/अभियुक्त पर उपस्थित रहने, बातचीत करने एवं गोहद चौराहा तक ले जाने संबंधी आरोप लगाये हैं। आवेदक/आरोपी पर अभियोक्त्री के साथ लैंगिक हमला या लैंगिक शोषण का आरोप नहीं लगाया है। आवेदक/अभियुक्त भूपेन्द्र दिनांक 01.03.2017 से न्यायिक नरोध में है। प्रकरण के निराकरण में समय लगने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

अतः प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त भूपेन्द्र पर लगाए गए आरोप के स्वरूप एवं प्रकरण की परिस्थिति एवं उपलब्ध सामाग्री को देखते हुए आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा0फौ0 स्वीकार योग्य होने से स्वीकार कर उसे आदेशित किया जाता है कि यदि आवेदक/अभियुक्त की ओर से 20000/- रूपए की समक्ष जमानत एवं इतनी ही राशि का व्यक्तिगत वंधपत्र पेश हो तो उसे जमानत पर निम्न शर्तों के अधीन छोड़ा जावे।

#### शर्तें—

1. आवेदक प्रत्येक तिथि दिनांक को न्यायलय में उपस्थित रहेगा।
  2. जैसा अपराध किया है उसकी पुनरावृत्ति नहीं करेगा।
  3. साक्षियों के डराएगा धमकाएगा नहीं है।
- प्रकरण पूर्ववत आरोप तर्क हेतु दिनांक 09.05.2017 को पेश हो।

वीरेन्द्र सिंह राजपूत  
ए.एस.जे. गोहद

--	--	--

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)